भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 42

उत्तर देने की तारीख: 02.02.2022

विवेकाधीन कोटे के तहत केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

42 **श्री मल्लिकार्जुन खरगे:**

क्या***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में मंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत वर्ष-वार कुल कितने दाखिले हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्री के विवेक के तहत इस तरह के दाखिले चालू वर्ष के लिए रोक दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने का क्या कारण है; और

(घ) हाशिए के समुदायों के और अधिक विद्यार्थियों को दाखिले के अवसर प्रदान करने की दिशा में इस कदम का क्या प्रभाव हुआ है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) मंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत देश भर के केंद्रीय विद्यालयों (केवि) में मौजूदा केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) के प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए दाखिले निम्नानुसार हैं: -

क्र. सं.	वर्ष	मंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत दाखिलों की संख्या
1.	2019-2020	9411

2.	2020-2021	12295
3.	2021-2022	शून्य

(ख) मंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में कोई प्रवेश नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रत्येक संगठन, प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपनी प्रक्रियाओं और नीतियों की समीक्षा करता रहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मौजूदा शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रथाओं के पुनर्गठन का अधिदेश दिया गया है। इसमें इच्छित अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए मूलभूत स्तर पर एक अच्छा छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखना शामिल है। केन्द्रीय विद्यालयों की एक विशिष्ट भूमिका है और इन्हें रक्षा और अर्ध-सैन्यकर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान (आईएचएल) सहित पूरे देश में शिक्षा का एक साझा कार्यक्रम प्रदान करके केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की समान शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाता है। केविएस हाशिए के समुदायों और समाज के वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करता रहा है। "नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009" के तहत कक्षा- । में प्रवेश हेतु 25% सीटें आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त प्रवेश स्तर पर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आरक्षण और दिव्यांग बच्चों के लिए 3% सीटों पर समानांतर आरक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, माननीय संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष 10 प्रवेशों का विवेकाधीन कोटा प्रदान किया गया है।

*****